अतिआवश्यक / तत्काल

राजस्थान सरकार
प्रारंभिक शिक्षा विभाग

क्रमांक : प. 2(5)/शि–1/प्राशि/2003/पार्ट–1 जयपुर दिनांकः 9 FEB 2018

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।

विषय : राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल –।। (NON TSP AREA) के नव चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन हेतु दस्तावेज सत्यापन कार्यवाही दिनांक 13.02.2018 तक पूर्ण किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : निदेशक, प्राशि, बीकानेर का पत्रांक शिविरा–प्रार/नियु.प्रको./नियु.–2/982/2017–18 दिनांक 9.2.18.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.02.2018 द्वारा राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 के माध्यम से शिक्षक लेवल–।। गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP AREA) के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति/पदस्थापन की कार्यवाही किये जाने हेतु कलैण्डर जारी किया गया है।

निदेशक, प्राशि राज. बीकानेर ने पत्र द्वारा अवगत कराया है कि राजस्थान तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती, 2016 (संशोधित) लेवल–2 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर याचिका संख्या 2902/2018 मंजू कुमारी व अन्य बनाम सरकार में माननीय न्यायालय में दिनांक **9.2.2018** को हुई बहस के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.के. गुप्ता द्वारा पैरवी के दौरान माननीय न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया है कि शिक्षक भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल–2 के चयनित आशार्थियों के दस्तावेज सत्यापन करवाकर अपात्र पाये गये आशार्थियों की सूची दिनांक **15.02.2018** माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावेगी।

अतः इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक **02.02.2018** द्वारा निर्धारित की गई दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही की दिनांक **15.02.2018** के स्थान पर **अब दिनांक 13 फरवरी, 2018 तक पूर्ण कर पात्र/अपात्र/अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची (समस्त विवरण सहित)** निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को जरिये ईमेल/वाहक स्तर (सॉफ्ट व हार्ड कॉपी) पर दिनांक **14.02.2018 को प्रातः 10.00** बजे तक आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराया जावें। ताकि माननीय उच्च न्यायालय में दिनांक 15.02.2018 को सूची प्रस्तुत की जा सके।

साथ ही यदि किसी अभ्यर्थी का जानबूझ कर गलत/मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर चयनित होना पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

भवदीय,
9/2/18
(घनश्याम लाल शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर।
4. उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा– संबंधित ।
5. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

शासन उप सचिव